

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
अटरु (बारा)

चन्द्रप्रकाश पुत्र अमरलाल बनाम राजस्थान सरकार (भूधारक) जयें तहसीलदार अटरु  
प्रार्थी अप्रार्थी

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. अधि. 1956  
महोदय, 1/12/20

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बहलावन पटवार मण्डल किशनपुरा  
तहसील अटरु जिला बारा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 16 में खातेदार/गैरखातेदार के रूप  
में मेरा नाम/जाति चन्द्रमोहन पुत्र अमरलाल दर्ज है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक करवाना  
चाहता हूँ।

अतः इस खाता संख्या में मेरा नाम/जाति चन्द्रमोहन के स्थान पर चन्द्रप्रकाश  
दर्ज/दुरुस्त करने की कृपा करें।

सम्मानकर्ता  
पटवारी/ग्रामसेवक/ग्राम रोजगारसहा./  
सरनर/बर्ड पंच/अन्य

चन्द्रप्रकाश  
प्रार्थी

चन्द्रप्रकाश पुत्र अमरलाल  
जाति बैरवा निवासी बहलावन

- :: रिपोर्ट हल्का पटवारी :: -

पटवारी हल्का किशनपुरा के ग्राम बहलावन की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के  
खाता संख्या 16 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चन्द्रमोहन पुत्र अमरलाल दर्ज है। जो  
सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति चन्द्रमोहन के स्थान पर चन्द्रप्रकाश  
करना उचित होगा।

अम  
हस्ताक्षर

पटवारी हल्का किशनपुरा

- :: रिपोर्ट तहसीलदार अटरु :: -

पटवारी हल्का किशनपुरा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बहलावन की चालू जमाबन्दी  
सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 16 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चन्द्रमोहन पुत्र अमरलाल  
दर्ज है। जो सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति चन्द्रमोहन  
के स्थान पर चन्द्रप्रकाश करना उचित होगा।

तहसीलदार अटरु  
तहसीलदार अटरु

दिनांक 30/3/20

कम्पाक 5/3/20  
न्याय लय उपखण्ड अधिकारी अटरु जिला बारा (राज.)

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र/पुत्री/पत्नी अमरलाल ने प्रार्थना पत्र  
स्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बहलावन पटवार मण्डल किशनपुरा तहसील अटरु जिला बारा  
की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 16 में खातेदार/गैरखातेदार का  
नाम/जाति चन्द्रमोहन पुत्र अमरलाल दर्ज है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से चन्द्रप्रकाश पुत्र अमरलाल  
रूप में दर्ज किया जावे प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाँच पटवारी किशनपुरा से करवाने पर पटवारी ने चन्द्रमोहन  
के बजाय चन्द्रप्रकाश करना उचित बताया। तहसीलदार अटरु ने  
उक्त खाते में चन्द्रमोहन के बजाय चन्द्रप्रकाश करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं  
धारा 369 राजस्थान भूराजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम बहलावन के खाता संख्या 16  
में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चन्द्रमोहन के स्थान पर सम्मानजनक रूप  
से चन्द्रप्रकाश दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अटरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में  
दुरुस्ती करें।

30/3/2020  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
अटरु जिला बारा (राज.)

